

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 29 अ-82/16-17/7871

बैतूल दिनांक ११ - 07-2018

// प्रारंभिक अधिसूचना //

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मालेगांव	0-696	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं सम्बंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	रेल्वे तीसरी लाईन हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मारोती व० पांडुरंग सा०देह	18	0.603	0.168
2	खुशार, हरीलाल व० जादो, बाबूलाल बालकिसन व० खुशार जाति पंवार सा० देह	19	1.582	0.346
3	किशोर व० चिरोंजी, घुडी बेवा डेमल्या, शिवपाल,सदाशिव,सहदेव व० डेमल्या, मीता, सुकी पिता डेमल्या सा० देह	206	0.061	0.001
4	शिवपालन, सदाशिव, सहदेव व० डेमल्या, बातो, सूको पिता डेमल्या जाति मेहरा सा देह	207	0.073	0.011
5	राम, दुन्नू जगनू, व० गिरधारी जाति मेहरा सा०देह	208	0.041	0.009
6	ढुल्लो पिता नागो जग्गू भवनू, रक्कू व० जीवन , मधूल बेवा जीवन सा० देह	209	0.089	0.008
7	सब्बू व० साजू सुगन्ती पिता साजू सवाई व० रंजन, रतन, राधेलाल व० बातू, भगवती राधि पिता बातू जाति मेहरा सा० देह	210	0.089	0.012
8	चैतू व० भदया, गुडडू, सोधू व०कुंजी, जैवंती बेवा कुंजी, रूखमा बेवा रामपत, फकीर व रामपत, सूकामलेख व सलकिया सा देह	211	0.096	0.016
9	शंकर व मंहगूराम, रामराव व० फुसा, संगनी बेवा फुसिया, राजू बबलू व० सीताराम सावित्री बेवा सीताराम सा देह	212	0.057	0.004
10	बलीराम व० नान्हू जाति पंवार	228	2.602	0.121
	योग	10	5.293	0.696

1- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उप धारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ०क० 29 अ-82/वर्ष 16-17/मालेगांव/7870
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 02-7-2018

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- उप मुख्य अभियन्ता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा०)को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रेषित
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मालेगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित



कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग